गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.06.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
5.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
6.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
7.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
10.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
11.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
12.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में ऑनलाईन उपस्थित हुए :–

1. प्रो0 पी.के. बाजपेयी
2. प्रो0 ए.एस. रणदिवे
3. प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी
4. प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव
5. प्रो0 ब्रजेश तिवारी

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 व्ही.एस. राठौर

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों से आध्यात्मिक अभिरूचि का ज्ञान प्रदान करते हुए सहयोगियों के साथ भावनात्मक अंर्तसंबंध स्थापित कर आपस में मिल–जुल कर सहयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया गया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03. अध्ययनशाला स्तर पर परीक्षा आयोजित करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा आयोजन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त के संबंध में किसी अध्ययनशाला से यदि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर पृथक से विचार किया जाय।

विषय क्र. 04. अध्ययन मण्डल हिन्दी की बैठक दिनांक 28.04.2023 में विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना संबंधित विभाग को पुनर्विचार हेतु लौटा दी जाय तथा अध्ययनमण्डल के पुनर्विचारोपरान्त प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 05. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बॉश कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बॉश कौशल विकास कार्यक्रम को लागू करने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर हेतु नई दिल्ली में कार्यालय–सह आवास आवंटित करने के अनुरोध पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर हेतु नई दिल्ली में कार्यालय–सह आवास आवंटित कराने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया जाय।

विषय क्र. 07. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक में Ethics Policy के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि Ethics Policy के प्रारूपण हेतु गठित समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 08. श्रीमती उज्जवला अम्बस्थ शोधार्थी– अंग्रेजी के शोध उपाधि हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10.04.2023 के अनुमोदन पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि श्रीमती उज्जवला अम्बस्थ शोधार्थी– अंग्रेजी के शोध उपाधि हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10.04.2023 से प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 09. **श्री अभिषेक सिंह पीएच.डी. शोध छात्र सिविल इंजीनियरिंग विभाग के चिकित्सीय अवकाश को व्ही.आर.ई.टी. फेलोशीप को निरंतर प्रदान किये जाने हेतु दीर्घकालिक अवकाश (पीएच.डी. अध्यादेश, क्लॉस 5 (iii)) के अन्तर्गत मान्य किये जाने हेतु विचारार्थ।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षकों से प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं प्रभावी शोध विनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाय।

विषय क्र. 10. **प्रो0 मनीष श्रीवास्तव एवं उनके भाईयों श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय और आशिष श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता छत्तीसगढ़ न्यायालय के द्वारा दिवंगत पिता प्रो0(डॉ0) एन.पी. श्रीवास्तव के स्मृति में स्वर्ण पदक स्थापित करने के संबंध विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो0 मनीष श्रीवास्तव एवं उनके भाईयों श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय और आशिष श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता छत्तीसगढ़ न्यायालय के द्वारा दिवंगत पिता प्रो0(डॉ0) एन.पी. श्रीवास्तव के स्मृति में स्वर्ण पदक स्थापित करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि स्व. प्रो0(डॉ0) एन.पी. श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक उस विद्यार्थी को प्रदान किया जायेगा जो एम.ए. अंग्रेजी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करते हुए प्राविण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा एवं पदक प्राप्त करने संबंधी अन्य मापदण्डों को पूर्ण करेगा।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रो0 मनीष श्रीवास्तव बैठक से अनुपस्थित रहे एवं प्रो0 मुकेश कुमार सिंह ने कुलसचिव के रूप में उक्त प्रस्ताव का वाचन किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.–1 स्थायी समिति के समक्ष किलकारी डे केयर सेंटर से प्राप्त "Tutorial and skill inhancement services-TASES" प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.–2 स्थायी समिति के समक्ष GSL के लिए लोगों के प्रारूप प्रस्तुत किये गये है।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बैठक के दौरान सुझाये गये संशोधनों के साथ लोगों का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत कराया जाय।

अ.अ.वि.क्र.–3 बैठक के दौरान दो सदस्य प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा एवं प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा ने निर्धन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से छात्रवृत्ती/जीवनवृत्ती या विश्वविद्यालय शुल्क जमा करने आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

स्थायी समिति ने इस संबंध में यथोचित प्रावधान प्रारूपित करने एवं प्रस्ताव प्रस्तुत कराने समिति गठित की जाय। समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय।

24/06/2023

24/06/23

अ.अ.वि.क्र.–4 बैठक के दौरान ग्रीन मेंटर्स, न्यूयार्क से प्राप्त ई–मेल दिनांक 23.06.2023 स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड 2023 के लिए चयन किये जाने संबंधी सूचना अंकित है।

स्थायी समिति ने इस हेतु कुलपति महोदय के प्रयासों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सहभागिता की भूरी–भूरी प्रशंसा की एवं स्थायी समति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यक्रम में सहभागिता संबंधी निर्णय हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

24/06/23

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

24/06/2023

कुलपति / अध्यक्ष